

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- सुदर्शन सिंह तोमर

क०सं०	अपील सं०	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उन्वान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	129/25	2025/197	11/08/2025	ऋषि बनाम तहसीलदार वजीरपुर	14.11.2025	1 लगायत 2

1. ऋषि पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर। -अपीलार्थी बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर। -रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 191/23 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डीप के आराजी ख०नं० 3795 रकबा 0.15 है० किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थात् दण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध तहसीलदार वजीरपुर को रिपोर्ट पेश की कि अपीलार्थी द्वारा भूमि हाल खं०नं० 3795 रकबा 0.15 है० पर नाजायज अतिक्रमण कर रखा है। इस पर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये तथा अपीलार्थी को पश्चातवृत्ति अतिक्रमी मानकर 60 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी को यह अपील निम्न आधारों पर पेश करनी आवश्यक हुयी है। यह है कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदार मिसल है, जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि भूमि खं०नं० 3795 पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है। भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुयी है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलार्थी को पश्चातवृत्ति अतिक्रमण मानते हुए 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्त ने अपीलार्थी का शपथ पत्र इस आशय का कि अपीलार्थी का भूमि हाल खं०नं० 3795 रकबा 0.15 है० स्थित ग्राम खण्डीप से कब्जा हटा लिया है, अब उक्त भूमि पर अपीलार्थी व अपीलार्थी के परिवार के किसी सदस्य का कोई कब्जा नहीं है पेश करते हुए, उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया।

[Type text]

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 129/2025 ऋषि बनाम तहसीलदार वजीरपुर ।

पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपीलार्थी ने एक शपथ पत्र इस बाबत प्रस्तुत किया कि भूमि हाल खं0नं0 3795 रकबा 0.15 है0 स्थित ग्राम खण्डीप से कब्जा हटा लिया है व अब उक्त भूमि पर मेरा या मेरे परिवार का कोई कब्जा नहीं है और दुबारा में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करूंगा।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्त कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 20.10.2023 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्त का कब्जा काशत पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.10.2023 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुदर्शन-सिंह तोमर)
अति. जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी